प्रेस विज्ञप्ति

26.07.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर ने 05/072024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत गुरदीप सिंह पूर्व-सरपंच गांव राणो (रणवां), लुधियाना और अन्य के खिलाफ माननीय विशेष अदालत (पीएमएलए), जालंधर के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। । माननीय न्यायालय ने 20.07.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है।

ईडी ने भा.द.स,1860, एनडीपीएस अधिनियम, 1985 और आयुध अधिनियम, 2019 की विभिन्न धाराओं के तहत पंजाब पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) द्वारा दर्ज एक एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि गुरदीप सिंह ने मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित अपराध की आय के माध्यम से अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की है। इससे पहले पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 6.48 करोड़ रुपये (लगभग) की राशि की गुरदीप सिंह और उनके परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाली संपत्तियों की कुर्की के लिए एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया गया था और उक्त कुर्की आदेश की पुष्टि माननीय निर्णय प्राधिकारी, पीएमएलए, नई दिल्ली द्वारा **दिनांक** 07.07.2023 को की गई है।

आगे की जांच जारी है।